

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
बल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल  
= आदेश =

मोपाल, दिनांक 08/06/2018  
क्रमांक एफ 8-1-2015/नियम/चार राज्य वेतन आयोग की अनुसूची के क्रम में राज्य शासन एतद द्वारा राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक के वेतनमान 5200-20200+2400 का उन्नयन कर वेतनमान 5200-20200+2800 स्वीकृत करता है।

- उपर्युक्त वेतन उन्नयन दिनांक 01-01-2016 से लागू कर नगद लान दिनांक 01-07-2018 (अगस्त 2018 में देय वेतन) से दिया जावे। दिनांक 01-01-2016 को उपर्युक्त अनुसार देय ग्रेड वेतन के आधार पर म0प्र0 वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 में वेतन निर्धारण किया जावेगा। दिनांक 01-01-2016 से 30-06-2018 तक की अवधि के लिये काल्पनिक वेतन वृद्धियों दी जायेंगी।
- वेतन उन्नयन अनुसार सुसंगत भरती नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
(पंकज अग्रवाल)  
प्रमुख सचिव  
म0प्र0शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा क्रमांक एफ 8-1/2015/नियम/चार मोपाल, दिनांक 08/06/2018

प्रतिलिपि:-

- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल
  - सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
  - महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट)1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल
  - आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
  - आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
  - मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
  - अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय भोपाल
  - गार्ड फाईल
- की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

(अजय चौबे)  
उप सचिव  
म.प्र.शासन, वित्त विभाग